**संख्या-93/2019/1505/22-2-2019-17(851)/2019**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2019***

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी विमलेश पत्नी श्री सुखपाल, निवासी जनपद-हापुड की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5-द0या0(बैठक-20.11.2018) दिनांक 08.01. 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी विमलेश पत्नी श्री सुखपाल जो-सबली, थाना-हापुड नगर जिला-हापुड की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज को लेकर दिनांक 07.06.2012 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी बहू के ऊपर मिट्टी का तेल डालके आग लगा दी जिससे बहुत ज्यादा जल गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1654/2013 धारा-498ए,323/34,304बी आई0पी0सी0 व धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश हापुड के आदेश दिनांक 20.12.2017 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.10.2018 तक 06 वर्ष 04 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 06 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने के अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने,अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने,समयपूर्व रिहाई से समाज में विपरीत प्रभाव पडने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की काटी गयी सजा कारित अपराध प्रकृति एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी विमलेश (बंदी संख्या-1058/2017) पत्नी श्री सुखपाल, निवासी जनपद-हापुड की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से महिला बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-93/2019/1505(1)/22-2-2019 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in